eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

उदीयमान भारत में महिला मानवाधिकार समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

[1]डॉ0 अर्चना गुप्ता
[1]राजनीति विज्ञान विभाग, डी.ए–वी. कालेज, कानपुर।

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 15 October 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

भारतीय जीवन दर्शन में स्त्री शक्ति का पर्याय है इसीलिए उसे शक्ति भी कहा जाता है। स्त्री की शक्ति से परिवार और समाज की संरचना होती है। वह विकास की सूत्रधार है, सृजन एवं पोषण उसके नैसर्गिक दायित्व है। किसी भी समाज के विकास का आधार वहाँ प्राप्त महिलाओं के अधिकार, अस्मिता व सम्पन्नता पर आधारित है। स्त्री को लौकिक जीवन में पुरूष की तुलना में अधिक समर्थ और व्यवहार कुशल माना गया है। उसकी विशिष्ट योग्यताओं के कारण उसे अधिक दायित्व एवं अधिकार सम्पन्न बनाया गया है। स्वतंत्रता ने नारी की स्थिति को हमारे समाज में निश्चित आयाम दिए। संविधान ने स्त्री–पुरूष दोनों को उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए समान अवसरों की व्यवस्था की। अनेक प्राविधानों के द्वारा नारी की सुरक्षा तथा संरक्षण की व्यवस्था की गई, तत्पश्चात् भी नारी की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि में बुनियादी बदलाव नहीं हुए।

शब्द संक्षेप– उदीयमान भारत, महिला मानवाधिकार, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं।

Introduction

आधुनिक समाज की सर्वाधिक ज्वलन्त समस्याओं में महिलाओं का उत्पीड़न एवं हिंसक गतिविधियों द्वारा मानवाधिकार का हनन एक प्रमुख समस्या है। वास्तव में महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्रायः जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। अतः न केवल हिंसा बल्कि हिंसा के खतरे से मुक्ति भी महिलाओं को जीवित रहने और सशक्तिकरण की क्षमता में वृद्धि का संकेतक है। जो अधिकार मानव की गरिमा और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं वह मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति, समाज और राज्य मानवीय सुख से संयुक्त है। मानव सुख की अवधारणा सामाजिक सुख, अर्न्तराष्ट्रीय सुख और राष्ट्रीय सुख में परिणत होने के कारण यह मानवाधिकर की उपलब्धि पर आधारित है। प्रारम्भ में दार्शनिकों ने माना कि प्राकृतिक अधिकार ही सर्वोच्च है किन्तु इसके लिये किसी संस्था का आर्विभाव न होने के कारण यह सिद्धान्त मूर्त रूप न ले सका। मानवाधिकारों में प्रमुख सिद्धान्त संविधानवाद का है, जिसमें विधि शासन, न्यायिक पुनरावलोकन और शक्ति प्रथक्करण आदि सहायक उपाय तंत्र है। मानव अधिकारों का दर्शन हाब्ज, लॉक, रूसो के दर्शन पर आधारित है। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका में नाजियों द्वारा इनका खुलकर उल्लंघन हुआ। तत्पश्चात् यह अनुभव किया गया कि विश्व शांति के लिए मानवाधिकारों की उपलब्धि परमावश्यक है। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया। डब्ल्यू मिलर और आर0 वरेच एण्ड शियाने

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

का कहना है कि मानवाधिकार व्यक्ति को राज्य के विरूद्ध अधिकार प्रदान करते है। इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त है। मानवाधिकार आन्दोलन का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने कर्तव्यों के उल्लंघन की निन्दा करके इस सम्बन्ध में राज्यों के दायित्वों को लागू कर सभी (स्त्री–पुरूष) के लिए समान अधिकारों को परिभाषित किया जाए।

मानवाधिकार के घोषणापत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद है। प्रस्तावना में ''मानव जाति की जन्मजात स्वतंत्रता, गरिमा, सम्मान तथा अधिकारों'' पर बल दिया गया,

– प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जन्म, जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, स्थान राजनीति, सामाजिक उत्पत्ति आदि सभी अधिकारों और आजादी का पात्र है।

– प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है।

– किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषित दण्ड नहीं दिया जायेगा और न ही उसके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जायेगा।

– वयस्क अवस्था वाले स्त्री–पुरूष को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है।

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं समृद्धि के लिए 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानवाधिकारों के तहत स्त्री को सम्पत्ति अधिकार अधिनियम 1937 के अनुसार पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार, 1937 बाल विवाह–निरोध अधिनियम, 1929 हिन्दू विवाह पुर्नविवाह अधिनियम, 1956 स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 हिन्दू विवाह अधिनियम आदि है। इनका मुख्य कार्य मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु उपाय करना, अधिकारों की अवहेलना सम्बन्धी शिकायतों की जांच करना तथा शिकायतों की जांच कर उनके निदान हेतु सिफारिश करना आदि है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करने में मानवाधिकार घोषणा पत्र की संहिताएं काफी उपयोगी रही है। 21वीं सदी में महिलाओं में नई चेतना एवं जागरूकता का विकास हुआ परन्तु इसके साथ ही महिला उत्पीड़न के भी नए नए तरीके समाज में उभर कर सामने आए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा महत्वपूर्ण घटक है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य परिवार के सदस्यों द्वारा महिला पर किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है यह घर की चाहरदीवारी के अन्दर किया जाता है। भावनात्मक सम्बन्ध होने के कारण वह उनका पुरजोर विरोध नहीं कर पाती। अपराध एवं हिंसा की घटनाओं में वृद्धि समाज वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, समाज सुधारकों व अन्य सभी के लिए गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। यह सत्य है कि स्त्री को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरूषों व अन्य पारिवारिक जनों ने उसे सदैव तिरस्कृत एवं उपेक्षित किया है विवाह के समय स्त्री सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति व आत्म उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु उम्मीद के विपरीत उनके सपने क्ररता से टूटते हैं। वे पति और परिजनों द्वारा मारपीट और यातना की अन्तहीन लम्बी–अंधेरी गुफाओं में अपने आपको पाती है, उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप रहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी इसे निजी मामला बताते हैं और पुलिस भी उनकी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है। सभी सगे सम्बन्धी एवं वकील या जज उसे समझौता

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

करने की सलाह देते हैं यह सत्य है कि हिंसा किसी का निजी विषय नहीं हो सकता, यह तो सार्वजनिक अपराध है। राम आहुजा ने स्त्री के प्रति होने वाली अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों मे विभाजित किया है –

(क) **आपराधिक हिंसा**– बलात्कार, अपरहण तथा हत्या इत्यादि।

(ख) **घरेलू हिंसा** – परिवार में महिला के साथ किया जाने वाला शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, दहेज हत्या, मारपीट एवं विधवाओं पर होने वाला अत्याचार आदि हैं

(ग) **सामाजिक हिंसा**– भ्रूण हत्या के लिए विवश करना, छेड़छाड़, सम्पत्ति में हिस्सा न देने, दहेज लाने के लिए विवश करना, यौन शोषण एवं यौन उत्पीड़न शामिल है।

हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याओं में दहेज प्रथा एक ऐसी प्रमुख समस्या है जिसके कारण नव विवाहिताएं जलाई जाती है, उनका जीवन नरक बन कर रह जाता है। यह अनेक पारिवारिक संघर्षों एवं तनावों को जन्म देती है, मध्यम वर्गीय परिवार ऋण ग्रस्त हो जाते है और बेमेल विवाह असंतोष का कारण बनते है। इस प्रकार दहेज प्रथा अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है।

वस्तुतः घरेलू हिंसा में निम्नलिखित आचरणों का समावेश होता हैः–

1– घरेलू महिलाओं की स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन तथा सुख से रहने की भावनात्मक इच्छा का दमन कर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देना।

2– दहेज जैसी अनुचित मांग के लिए हिंसा।

3– शारीरिक प्रताड़ना द्वारा उनके स्वास्थ्य को नष्ट करने की चेष्टा, मारपीट, डराना धमकाना, मौन प्रताड़ना एवं प्रतिष्ठा के प्रतिकूल भावनात्मक अपमान कर उपहास करना।

4– आर्थिक प्रताड़ना के द्वारा उनके आजीविका के साधन कम करना, जेवर, बैंक में जमा राशि एवं अन्य सम्पत्ति से बेदखल करना इत्यादि।

वास्तव में घरेलू हिंसा, अत्याचार एवं कामकाज की जगहों पर होने वाले दुर्व्यवहारों की शिकायतों में 86 प्रतिशत मामले पुलिस तक नहीं पहुँचते हैं। पुरूष की हिंसा का प्रतिकार वह सामाजिक मर्यादा और झिझक के कारण नहीं कर पाती। भारतीय समाज में मानवाधिकारों के हनन की यह चरम सीमा है कि अत्याचार का शिकार निर्दोष महिलाओं की पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा की जाती है। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए अनेक वैश्विक मंचों से समय समय पर आवाज उठती रही है। महासभा संकल्प में दिसम्बर 1993 में उल्लेख है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा स्त्री–पुरूष के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है जिसके कारण पुरूषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व स्थापित कर उन्हें उन्नति के शिखर की प्राप्ति से रोका गया। घरेलू हिंसा एक सार्वभौमिक वास्तविकता है, यह अदृश्य भी है। 174 देशों की इस श्रेणी में भारत को 108 वें स्थान पर रखा गया है। भारत में लिंग चयनात्मक गर्भपात के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

कारण कुछ राज्यों में लिंगानुपात बहुत चिन्ता जनक है जिसमें पंजाब, गुजरात एवं हरियाणा प्रमुख है।

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए जो कानून मौजूद है, उनमें भारतीय साक्ष्य **अधिनियम धारा 113(ए)**– एक विवाहित महिला यदि अपने वैवाहिक जीवन के प्रारम्भिक 7 वर्षों के भीतर आत्महत्या कर लेती है और उसमें यह दिखाया जाता है कि पति या परिवार जनों ने उसके साथ–साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था तो अदालत द्वारा यह माना जाएगा कि उसने आत्महत्या उकसाने से की थी, **भारत साक्ष्य अधिनियम धारा 304(वी)** यदि शादी के 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। दहेज हत्या में आजीवन कारावास हो सकता है। आज भारत में ही नहीं अपितु सभी देशों में करोड़ों महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक तथ्य बन गया है कि जिस पर संस्कृति, धर्म अथवा जातीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायमूर्ति डॉ0 वेणु गोपाल के अनुसार अनेक कामकाजी महिलाओं का अपनी आय पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है, उन्हें किसी निजी कार्य की स्वायत्तता नहीं है। घरेलू हिंसा की व्यापकता के तदनुरूप अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा अन्य अनेक देशों में कानूनी रूप से इसके आधार पर शरण ली जा सकती है। किन्तु भारत में अभी घरेलू हिंसा रोकने हेतु कारगर विधिवत अधिनियम लागू हो पाए हैं। इसीलिए विभिन्न महिला संगठन इसके विरूद्ध संसद में एक कठोर कानून बनाने हेतु सरकार पर दबाव डालते रहे हैं। सिद्धान्त रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुरूप भारत में कई कानून बने हैं परन्तु इन कानूनों को यथानियम क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं के प्रति अधिक उदारता बरतने तथा एक स्वस्थ मानसिकता को विकसित किए जाने की अपेक्षा है, जिसमें मानवोचित मूल्य समाहित होने चाहिए। मानवाधिकार के संरक्षण हेतु समाज के सभी वर्गों की सहभागिता अनिवार्य है।

महिला अधिकारिता के लिए वे स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने और आगे आकर अपने अधिकारों की सामर्थ्य सिद्ध करें। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उचित स्थान और सम्मान पाने के लिए आगे आना होगा तभी वे अपने ऊपर होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों को रोक कर स्वयं समाज को प्रगति व उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर कर सकेगी।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

सन्दर्भ सूची

1. नारायणी, प्रकाश नारायण, ''भारत में कन्या भूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा'', बुक इन्क्लेव, जयपुर–2007
2. अग्रवाल, डॉ0 एच0ओ0 ''मानवाधिकार'' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स जनवरी 2014
3. सैनी, डॉ0 श्रवण कुमार, ''मानवाधिकार विधियाँ'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2013
4. चन्द्रशेखर, डॉ0 ममता, ''मानवाधिकार और महिलाएँ'' मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2011
5. शर्मा, सुभाष, ''भारत में मानवाधिकार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 2020
6. मेहरोत्रा, ममता, ''महिला अधिकार'' राधा कृष्ण प्रकाशन जनवरी 2014
7. श्रीवास्तव, सुधारानी, आशा श्रीवास्तव, ''महिला शोषण और मानवाधिकार'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
8. शर्मा, बृज किशोर ''मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और भारत की विधि'' पी.एच. आई लर्निंग 2010
9. वत्सला, डॉ0 प्रत्युष ''महिला हिंसा का अन्त'' कल, आज और कल, पुस्तक प्रकाशन 2015
10. गुप्ता, सुभाषचन्द्र, मीनाक्षी राजपूत, ''घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाए'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2019
11.. http//himwikipedia.org
12- www.jagran.com
13- Singh A.K., S.P. Singh, S.P. Pandey "Domestic Violence Against Women in India, Madhav Books Jan. 2009.